कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

संख्याः २१५/ख्र   दिनांक जुलाई 23 ,2020

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्र संख्या 5058/वै0स0/2020 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के माध्यम से यह आख्या प्राप्त हुई है कि **नगर पंचायत सैदपुर के वार्ड नं013 गंगानगर में श्री रामकुमार बरनवाल पुत्र स्व0 नन्हकू प्रसाद बरनवाल समेत उनके परिवार के कुल 06 सदस्य कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं। जिनके मकान से जनपद गाजीपुर का वाह्य न्यायालय, सैदपुर लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। विद्यमान परिस्थितियों में वाह्य न्यायालय सैदपुर Containment zone की परिधि में है।**

इसी प्रकार जिलाधिकारी, गाजीपुर पत्र संख्या 5059/वै0स0/2020 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के माध्यम से यह आख्या प्राप्त हुई है कि **कोरोना संक्रमित व्यक्ति उत्सव कुमार पुत्र डॉ0 उमेश निवासी मुहल्ला गढवा युसुफपुर मुहम्मदाबाद के घर से वाह्य न्यायालय परिसर मुहम्मदाबाद की दूरी 250 मीटर से कम है, जो Containment zone की परिधि में आता है।**

अर्थात वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, गाजीपुर उक्त आख्या के अनुसार कंटेनमेंट जोन में होना पाया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 03 June, 2020 के द्वारा न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में दी गयी गाईडलाईन के पैरा–14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर कन्टेनमेन्ट ज़ोन में आता है तो वहॉ का न्यायालय कन्टेनमेन्ट जोन की अवधि तक के लिए बन्द रहेगा।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश के अधीन जनपद गाजीपुर में स्थित वाहय न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, गाजीपुर कन्टेनमेन्ट जोन होने के कारण अग्रिम आदेश तक दिनांक 24.07.2020 से बन्द किया जाता है। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने की सूचना जिला प्रशासन से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायालय को खोलने के बारे में सूचित किया जाएगा।

इस आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष /महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। प्रशासनिक कार्यालय, उक्त की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित करें।

Raghvendra
23/7/20

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

Scanned with CamScanner